Annexure – I

20 अक्तूबर 2023 को होटेल होलीडे इन में
हाइब्रिड मोड पर आयोजित 93 वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

93 वीं बोर्ड बैठक 20–10–2023 को कोच्ची में आयोजित किया गाया। बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई। श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. श्री अमरदीप सिंह भाटिया ईएएस – अध्यक्ष
2. श्री डी सत्यन आईएफएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड – सदस्य
3. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी, माननीय सांसद, लेकसभा – सदस्य
4. डॉ. वनलालरामसंगा आईईएस, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय – सदस्य
5. डॉ. आर दिनेश, आीसीएआर–आईआईएसआर – सदस्य
6. श्री एस तिरुमुरुगन – सदस्य
7. श्री चन्द्रशेखर सिंह रघुवंशी – सदस्य
8. श्री एस के सत्यनारायण – सदस्य
9. डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार (कृषि), नीति आयोग – सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित हुए)
10. डॉ. अत्या नंद, निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित हुए)
11. श्री गौतम घोष – सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित हुए)

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष के अनुमति के साथ बोर्ड के निम्नलिखित निदेशक बैठक में उपस्थित हुए।

1. डॉ. रमाश्री ए बी, निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त)
2. श्री जिजेष टी दास, प्रभारी निदेशक (प्रशासन)
3. श्री बी एन झा, प्रभारी निदेशक (विपणन)
4. श्री धर्मेंद्र दास, प्रभारी निदेशक (विकास)

सर्वप्रथम, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव ने 93 वीं बैठक में अध्यक्ष और सभी सद्यों का स्वागत किया। सचिव ने सूचित किया कि पुनर्गठित बोर्ड में वर्तमान में केवल 17 सदस्य हैं। कोरम अभिनिश्चित करने के बाद, अध्यक्ष ने सचिव, स्पाइसेस बोर्ड से बोर्ड के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति करने के लिए कहा चूँकि वह बोर्ड के पुनर्गठन

के बाद की पहली बैठक थी। तदनुसार, सचिव ने स्पाइसेस बोर्ड और उसकी गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति की।

प्रस्तुति के बाद, डॉ. वनलालरामसंगा आर्थिक सलाहकार नोट कर लिया कि मसालों के आयात बढ़ रही है और सुझाव दिया कि उसे कम करने और इस आयात को प्रतिस्थापित करने के उपायों को खोजना होगा। सचिव ने बताया कि मसालों में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए एक वैश्विक केंद्र होने के कारण अर्क, तैलीराल आदि जैसे मूल्य वर्धित पदार्थों के रूप में पुन:निर्यात करने के उद्देश्य से कुछ आयातों की आवश्यकता है। तथापि, किसी भी समस्या के क्षेत्र को पहचानने के लिए आयातों की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष ने बताया कि घरेलू खपत के लिए मूल्य वर्धित मसालों के आयात के आंकड़े की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

माननीय सांसद और सदस्य श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी ने सूचित किया कि वर्ष 2022–23 के दौरान मसालों के निर्यात के 30 प्रतिशत से अधिक योगदान मिर्च का है; कि मेक्सिको को मिर्च का निर्यात रुक गया और व्यापार सुधार करने के लिए की गई कार्रवाई जानना चाहा। सचिव ने सूचित किया कि मेक्सिको को मिर्च निर्यात के संबंध में, एक व्यापार रोध का सामना कर रहा था चूँकि मेक्सिकन प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भारत के प्रत्येक भंडारण गृह की स्वच्छता और साफ–सफाई का निरीक्षण कराना चाहती है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कई अनुवर्ती बैठकों

के बावजूद, यह पता चला कि मेक्सिको पक्ष ने अब तक केवल दो निर्यात गृहों का निरीक्षण किया है और उन्हें अनुमति दी है। अध्यक्ष ने मामले को मंत्रालय के माध्यम से उठाने का निर्देश दिया।

माननीय सांसद ने अनुरोध किया क्या बोर्ड व्यापार के बेहतर नियंत्रण के लिए तंबाकू बोर्ड, हल्दी बोर्ड आदि जैसे अलग मिर्च बोर्ड स्थापित करने का विकल्प खोज सकता है। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि नए मिर्च बोर्ड की स्थापना के लिए सरकार का निर्णय की अपेक्षा है, यदि अपेक्षित है तो, गुणवत्ता, निर्यात संवर्धन और मूल्य संवर्धन सहित विशेष रूप से मिर्च मुद्दों पर देखने के लिए बोर्ड अपनी शक्ति का उपयोग करके एक समिति का गठन कर सकते हैं।

माननीय सांसद ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों को पहले से किए गए निर्यात के बदले में अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, विशेष रूप से बांग्लादेश और श्रीलंका से, और केवाईसी विवरण के साथ आयातकों के पंजीकरण की संभावना के बारे में पूछताछ की और बोर्ड से सहायता मांगी। आर्थिक सलाहकार

ने बताया कि चूँकि भुगतान के संदर्भ में ऐसे विवाद का निपटारे में आम तौर पर समय लगता है, निर्यातकों के लिए निर्यात बीमा कराना सबसे अच्छा तरीका होगा।

माननीय सांसद ने यह भी बताया कि कुछ वास्तविक निर्यातकों को कुछ गुणवत्ता विवादों के कारण भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा या चालान राशि का केवल एक हिस्सा प्राप्त हुआ और बताया कि कुछ निर्यातकों को इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से भी नोटिस मिला। उन्होंने बोर्ड से इसे आरबीआई और ईडी के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। सचिव ने इस मुद्दे पर अतिरिक्त विनिर्दिष्ट विवरण मांगा ताकि बोर्ड जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके।

माननीय सांसद ने यह भी जोड़ा कि इलायची और कालीमिर्च जैसे कुछ मसालों में एफएसएसआई या अमरीका, यूरोप जैसे देशों द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा रासायनिक अवशेष की उपस्थिति उच्च स्तर में देखी गई और बोर्ड के आर एवं डी प्रयोगशाला सुविधाओं और इस मुद्दे का हल करने के लिए किसानों को देने वाले प्रशिक्षण के बारे में विवरण जानना चाहा। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित की जो रासायनिक अवशेषों का परीक्षण कर सकती है और इसके अतिरिक्त बोर्ड विभिन्न शिक्षा गतिविधियाँ भी चला रहा है जिसमें युएनडीपी इंडिया के सहयोग के साथ गुंटूर में एक ट्रैसेबिलिटी प्रोजेक्ट और पायलट आधार पर एक इंडगैप प्रमाणीकरण परियोजना शामिल है।
माननीय सांसद ने इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए सीएफटीआरआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड की सराहना की और इस परियोजना में निवेश किए गए धन और हुई प्रगति के बारे में जानना चाहा। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयातकों को भारत लाने की संभावना भी जानने की कोशिश की ताकि हमारे निर्यातकों का खरीदारों के साथ अधिक संपर्क हो सके।
उन्होंने जोड़ दिया कि कुछ मोजूदा पार्क में अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट जैसे पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं नहीं थी। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि आगामी कार्यसूची मदों के तहत इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

उपरोक्त चर्चा के बाद, कार्यसूची मद उठाए गए।

मद सं. 1: आईटीसी गोल्डन पैलेस, मैसूर में 26.4.22 को हाइब्रिड मोड पर हुई 92 वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची का पुष्टीकरण

चूँकि बोर्ड सदस्यों के बीच परिक्रमित 92 वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त के लिए कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त की गई है, बोर्ड ने कार्यवृत्त की पुष्टी की।

मद सं. 2: कृत कार्रवाई रिपोर्ट

बोर्ड ने कृत कार्रवाई नोट किया।

श्री तिरुमुरुगन, सदस्य ने जानना चाहा कि क्या आईसीआईआई की परीक्षण प्रयोगशाला अवशेष स्तरों का परीक्षण करने में किसानों को सेवा देगी? निदेशक (अनुसंधान) ने उत्तर दिया कि आईसीआरआई सफलतापूर्वक नई परीक्षण सुविधाएँ स्थापित की है जिनका लाभ किसान अपने नमूनों का परीक्षण करने के लिए उठा सकते हैं। यह सूचित किया गया कि आईसीआरआई की नई सुविधा के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अध्यक्ष के इस सवाल पर कि परीक्षण की लागत कौन वहन करेगा, सचिव ने स्पष्ट किया कि बोर्ड किसानों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रियायती दर दे सकता है।

माननीय सांसद जानना चाहा कि अन्य देशों द्वारा निर्यात परेषण के तीसरी पक्ष विश्लेषण से संबंधित मुद्दों का निपटारा कैसे होगा? सचिव ने उत्तर दिया कि स्पाइसेस बोर्ड अपनी प्रयोगशालाओं और अपनी नामिकागत प्रयोगशालाओं के ज़रिए निर्यात के लिए एक अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। हालाँकि, कई देश बेतरतीब ढंग से पुन: परीक्षण करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते है, और परीक्षण में विफल रहने वाली परेषणों को अस्वीकार कर देते। बोर्ड का कार्यक्रम उनका विश्वास हासिल करने और इस तरह के पुन: परीक्षणों को कम करने और अस्वीकृतियों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निदेशक (विपणन) ने यह जोड़ा कि बोर्ड ने हाल ही में एक अपील प्रणाली शुरू की है जिसके तहत कोई भी निर्यातक उस परेषण के पुन: परीक्षण का विकल्प चुन सकता है जिसे निर्यात के लिए बोर्ड की प्रयोगशाला द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। बीमा के संबंध में माननीय सांसद के प्रश्न के संबंध में, उन्होंने स्पष्ट किया कि ईसीजीसी बीमा निर्यात के लिए परेषण–आधारित बीमा की प्रस्ताव कर रहा है। अध्यक्ष ने सूचित किया कि आयातक देश द्वारा पुन:

परीक्षण किया गया था, स्पाइसेस बोर्ड की परीक्षण रिपोर्टों को आम तौर पर उनके द्वारा अच्छा सम्मान दिया जाता था।

मद सं:3 वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए बोर्ड का वार्षिक लेखा

अध्यक्ष के इस प्रश्न के संबंध में कि क्या लेखापरीक्षा ने कोई टिप्पणी उठाई, सचिव ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा ने बेहतर लेखाकरण प्रथाओं की प्रकृति में कुछ सुधारों का सुझाव दिया है, और बोर्ड अधिकतम अनुपालन प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है।

बोर्ड ने वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस निर्देश के साथ अनुसमर्थित किया कि दिए गए सुझावों के अनुपालन की सचिव द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, और अगली बोर्ड बैठक में रिपोर्ट की जानी चाहिए।

मद सं:4 राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित नई वित्तीय लेखा प्रणाली

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं:5 नामचेबोंग, पाकयोंग, सिक्किम में में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्थिति

निदेशक (विपणन) ने परियोजना की स्थिति की जानकारी दी। सचिव ने कहा कि जब इसे टीआईईएस बैठक में रद्द कर दिया गया था यह परियोजना सिर्फ एक साल पुरानी थी और इसकी समयसीमा मार्च 2024 तक है; बोर्ड ने मंत्रालय से देरी के कारणों को बताते हुए और परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, जिस पर विचार करते हुए मंत्रालय ने जनवरी 2023 में एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार देते हुए परियोजना को पुन:स्थापित कर दिया।

वर्तमान में परियोजना में देखी गई देरी पर अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह बताया गया कि देरी कार्यान्वयन एजेंसी, यानी सीपीडब्ल्यूडी की ओर से लंबी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण हुई थी और बोर्ड ने दिल्ली के साथ–साथ सिलगुड़ी में भी सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं,

उन्हें परियोजना के महत्व से अवगत कराया और समयसीमा के भीतर पूरा करने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए अनुवीक्षण में सुधार करने और मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा करने और परियोजना की अनुवीक्षण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने का सुझाव दिया। यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मंत्रालय स्तर पर एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

मद सं.6 स्पाइसेस बोर्ड के गु.मू.प्र. द्वारा विश्लेषण किए गए परेषण नमूनों की स्थिति

परीक्षण के बाद निर्यातकों को जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पर एक प्रश्न के संबंध में, निदेशक (विपणन) ने स्पष्ट किया कि बोर्ड, निर्यातकों को परीक्षण परिणामों के अलावा, ईटीओ और अन्य विशिष्ट प्राचलों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा मांगे गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कार्यक्रम वास्तव में निर्यात किए गए मसाला परेषण की अस्वीकृति को कम करने में मदद कर रहा है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.7 गु.मू.प्र. के सुदृढ़ीकरण की स्थिति

गु.मू.प्र. की क्षमता पर एक प्रश्न पर, सचिव ने स्पष्ट किया कि बोर्ड उपस्करों के साथ–साथ अपनाई गई प्रक्रियाओं के संदर्भ में सभी आठ गु.मू.प्र. को अद्यतन और उन्नत करके लगातार क्यूईएल को मजबूत कर रहा है। पिछले 2–3 वर्षों में, गु.मू.प्र. मुंबई और गुंटूर में नाशकजीवनाशी अवशेषों के परीक्षण के लिए बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए दो एलसीएमएसएमएस खरीदे और परिनियोजित किए गए थे, जहां सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के माध्यम से इसका परीक्षण किया जा रहा था। इसी प्रकार, साल्मोनेला विश्लेषण को स्वचालित करने के लिए गु.मू.प्र. कांडला के लिए आरटीपीसीआर प्रणाली खरीदी गई थी। गु.मू.प्र. कोच्ची में ईटीओ के परीक्षण के लिए बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक जीसीएमएसएमएस खरीदा गया था, जहाँ नामिकागत प्रयोगशालाओं के माध्यम से इसका परीक्षण किया जा रहा था। यूरोपीय संघ की हाल ही में ऐसी आवश्यकता का संकेत देने वाली अधिसूचना के आलोक में प्रयोगशाला को लेड का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए गु.मू.प्र. कोच्ची में भारी धातु विश्लेषण के लिए एक आईसीपीएमएस खरीदा गया था।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.8 सीएफटीआरआई, मैसूर में मसाला ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक परियोजना

माननीय सांसद ने योजना के तहत अवधारित सहायता के स्तर के बारे में पूछा। सचिव ने उत्तर दिया कि प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता 12 महीने की अवधि के लिए प्रति पात्र चयनित उम्मीदवारों को 10,00,000/– रुपये (दस लाख रुपये) होगी और सीएफटीआरआई अपने संसाधनों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का समर्थन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा, चयनित इनक्यूबेट्स को प्रदान की जाने वाली आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ स्थापित करने के लिए सीएफटीआरआई को 10,00,000/– रुपये की प्रारंभिक धन प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड अन्य विशेषज्ञ संस्थानों जैसे आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आदि की सुविधाओं में ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने और चलाने के लिए उनके साथ एक करार करने के बाद उनके सहयोग से चरणबद्ध तरीके से मॉडल की प्रतिकृति बनाना चाहेगा।

निधीयन के संबंध में, अध्यक्ष ने आईईबीआर से धन जुटाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संभावित अभिसरण का पता लगाने की सलाह दी।

बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

मद सं.9 ब्लॉक अवधि 2023–26 के लिए इलायची नीलामकर्ताओं के लाइसेंस/ई–नीलामी के पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदन

बोर्ड ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की।
बोर्ड ने बुनियादी सुविधाओं के निरीक्षण के पूरा होने के बाद पात्र आवेदकों को ब्लॉक अवधि 2023–2026 के लिए इलायची लाइसेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया।

बोर्ड ने इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस की वैधता को 30.8.23 से 31.10.23 तक बढ़ाने के लिए सचिव द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की और इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस की वैधता को 30.11.23 तक बढ़ाने को भी अनुमोदित किया।

नीलामीकर्ता लाइसेंस (ई–नीलामी) के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी की वृद्धि के संबंध में, यह चर्चा की गई कि बैंक गारंटी को छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि बोर्ड अपनी नीलामी प्रणाली के तहत भुगतान चूक के मामले में पूरा जोखिम नहीं ले सकता है। इसके बजाय, प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बैंक गारंटी राशि को अलग करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया गया, जिसकी एक महीने के भीतर जांच की जानी चाहिए। बोर्ड ने वर्तमान बैंक गारंटी राशि को तब तक जारी रखने की अनुमति दी जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता।

मद सं.10 मसाला पार्कों के कार्यप्रणाली की स्थिति

निदेशक (विपणन) ने सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं के संचालन के विवरण के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में मसाला पार्कों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में, सचिव ने सूचित किया कि मेसर्स सीज़न फ्रेश एग्रो फूड्स को दिए गए शिवगंगा स्पाइस पार्क में सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन हाल ही में रद्द कर दिया गया था क्योंकि वे सुविधाओं का पूरी तरह से संचालन नहीं कर रहे थे और देय राशि का पूरा भुगतान नहीं किया था। यह बताया गया कि बोर्ड नए ईओआई के माध्यम से अगले ऑपरेटर का चयन करेगा।

बोर्ड ने नोट किया और अनुमोदित किया।

मद सं.11 स्पाइस पार्कों में निर्यातकों को आवंटित प्लॉटों की वर्तमान स्थिति:

सचिव ने निर्यातकों को मसाला पार्कों में आवंटित प्लॉटों के बारे में जानकारी दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्यातकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इकाइयाँ स्थापित करनी थीं; हालाँकि, कई मामलों में, आबंटन के बाद से न्यूनतम सात वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, उन्होंने स्थापित नहीं किया है और प्रचालन शुरू नहीं किया है, जबकि उन्हें दो वर्षों के भीतर ऐसा करना चाहिए था। इसे गंभीरता से लेते हुए, पिछली बोर्ड बैठकों में ऐसे सभी मामलों में आबंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया था, जहां प्लॉट धारकों ने कई नोटिस भेजने के बाद भी अपनी इकाइयों के निर्माण और प्रचालन के लिए कदम नहीं उठाए थे। सचिव ने सूचित किया कि जहाँ भी आवश्यक अनुमोदन और पार्क तक सड़क, पानी और बिजली जैसे बुनियादी अवसंरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दे देखे गए थे, बोर्ड ने समाधान के लिए हस्तक्षेप किया था।

माननीय सांसद ने स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में आईटीसी इकाई के कार्यप्रणाली के बारे में पूछा और जानना चाहा कि क्या छोटे व्यापारी और एफपीओ वहाँ अपनी इकाइयाँ संचालित करके ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। यह सूचित किया गया कि मेसर्स आईटीसी लिमिटेड ने स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में उन्हें आवंटित भूखंडों में लगभग 180 करोड़ रुपये का निवेश करके, लगभग 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के साथ अपनी इकाई स्थापित की और विभिन्न मसाला पाउडर और मिश्रण का निर्माण किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि, विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की मांग को देखते हुए, हालाँकि मेसर्स आईटीसी एक प्रमुख खिलाड़ी है, छोटे व्यापारियों/निर्यातकों सहित कई और निर्माताओं के लिए अपनी इकाइयाँ खोलने और विभिन्न देशों में निर्यात करने के लिए जगह होगी। गुंटूर में सामान्य प्रसंस्करण सुविधा पर एक प्रश्न के संबंध में, यह बताया गया कि बोर्ड द्वारा स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाई एक निर्यातक को आवंटित की गई है और बोर्ड ने इकाई को सक्रिय करने के लिए कुछ सहायता प्रदान की है, जिसके दो महीने में काम करना शुरू करने की उम्मीद है। गुंटूर में खाली प्लॉटों पर एक प्रश्न के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गुंटूर और शिवगंगा सहित कुछ पार्कों में सीमित संख्या में प्लॉट आरक्षित रखे गए हैं। यह भी सूचित किया गया कि एपी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने उन्हें आवंटित कुछ प्लॉटों को अभ्यर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है, जिन्हें बोर्ड द्वारा ईओआई प्रक्रिया के माध्यम से लेने के बाद पुन:आवंटित किया जाएगा। पुन: आबंटन की इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और गुंटूर सहित सभी पार्कों में रद्द/अभ्यर्पण किए गए प्लॉटों के सभी मामलों में अपनाई जाती रहेगी। छिंदवाड़ा और पुट्टाडी मसाला पार्कों के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि केवल सामान्य प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और कोई प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है। गुना स्पाइस पार्क के संबंध में, निदेशक (विपणन) ने बताया कि बोर्ड ने आबंटन के लिए उपलब्ध 68 प्लॉटों में से 39 का आबंटन कर दिया है, और शेष खाली प्लॉटों के लिए एक वर्ष से अधिक समय से 'चालू ईओआई' जारी की गई है, लेकिन अभी भी सभी प्लॉट निर्यातकों द्वारा नहीं लिए गए हैं। कुछ निर्यातकों ने बहुत कम ऊंचाई वाले रेलवे अंडर पास के माध्यम से प्रवेश में बाधा की ओर इशारा किया, जिससे कंटेनरों की गति बाधित हो गई थी। बोर्ड रेलवे और जिला प्रशासन के संबंधित डीजीएम के साथ इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। यह पाया गया कि इसकी समीक्षा सरकारी स्तर पर की जानी चाहिए।

मसाला पार्कों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर प्रश्न के संबंध में, यह सूचित किया गया कि जमीन मामूली लागत पर 30 साल के पट्टे पर दी गई थी और बोर्ड ने बिजली, पानी, आंतरिक सड़कों आदि जैसी

बुनियादी अवसंरचना को प्रदान करने का ख्याल रखा था। कुछ वर्षों के लिए प्लॉट मालिकों को कोई कर छूट प्रदान नहीं करने के प्रश्न पर, यह सूचित किया गया कि यह न तो उपलब्ध कराया गया है और न ही बोर्ड के कार्यक्षेत्र में है। यह भी सूचित किया गया कि, इन पार्कों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत डीम्ड फूड पार्क घोषित किया गया है, और प्लॉट मालिकों को उनकी योजनाओं के तहत एमओएफपीआई से सहायता मिल सकती है।

श्रम मंत्रालय के सदस्य ने सुझाव दिया कि प्लॉट धारकों को प्राथमिक प्रसंस्करण के बजाय माध्यमिक प्रसंस्करण के लिए समय पर आवेदन प्रस्तुत करके एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और बोर्ड बिजली और जल विभागों को स्पाइसेस पार्क में प्लॉट धारकों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए पत्र लिखकर भी सुविधा प्रदान कर सकता है।।

माननीय सांसद ने मसाला पार्कों में उद्यमियों को रियायती बिजली शुल्क प्रदान करने और उद्यमियों के लाभ के लिए मसाला पार्कों में कम लागत वाली सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की साध्यता का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का सुझाव दिया।

पुट्टडी मसाला पार्क के संबंध में सूचित किया गया कि पार्क में अच्छी सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ हैं, लेकिन पिछले संचालक ने पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद भी भंडारण इकाइयों को नहीं सौंपा था और माननीय न्यायालय में मुकदमा भी दाखिल किया था जिससे वहाँ भंडारण सुविधा के प्रचालन में बाधा उत्पन्न हुई। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि बोर्ड को पार्कों की अनुवीक्षण और समीक्षा तेज करनी चाहिए और सामने आने वाले मुद्दों को मसाला पार्क के अनुसार सूचीबद्ध करना चाहिए और उन्हें मिशन मोड में संबोधित करना चाहिए।

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया:

(क) रद्दकरण/अभ्यर्पण के कारण खाली हुए प्लॉटों के आबंटन के लिए चालू ईओआई आमंत्रित करना
(ख) शिवगंगा और गुना के मसाला पार्क के निर्यातकों को प्लॉटों के आबंटन के लिए चल रही ईओआई को जारी रखना।

(ग) जहाँ भी लंबी ईओआई अवधि के बाद भी भूखंड आबंटित नहीं किए जा सके, जैसे शिवगंगा और गुना में, ऐसे प्लॉटों को संबद्ध खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए एपीडा, चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातकों को आबंटन के लिए खोलना।

(घ) मसाला पार्क, रायबरेली में रिक्त प्लॉटों के लिए ईओआई आमंत्रित करना।

(ङ) हस्ताक्षरित करार या जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया/अनुपालन के स्तर की अनुवीक्षण करके अप्रयुक्त प्लॉटों को रद्द करने पर बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करना जारी रखना; जहाँ आवश्यक हो उन्हें जारी करना; और रद्द किए गए प्लॉटों को फिर से शुरू करने और नए ईओआई के माध्यम से उन्हें फिर से आबंटित करना।

मद सं.12 स्पाइस पार्कों में प्लॉट आबंटियों से रखरखाव शुल्क की वसूली

सचिव ने बताया कि प्रत्येक मसाला पार्क में प्लॉट मालिकों का एक संघ होना उत्तम होगा जो पार्क सुविधाओं के बुनियादी प्रबंधन में योगदान देना शुरू कर सकता है, जिससे कुछ बुनियादी सुविधाएँ जैसे वेय ब्रिज आदि का उपयोग करने के लिए शुल्क का उगाही को उनके नियंत्रण में अंतरित किया जा सकता है और बदले में उन्हें सामान्य विद्युत बिंदुओं, पानी के कनेक्शन आदि के छोटे और नियमित रखरखाव कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। प्लॉट मालिकों को इस उद्देश्य के लिए नियमित योगदान द्वारा एक कोर्पस बनाना चाहिए। किसी भी बड़े मरम्मत कार्य के लिए, बोर्ड हस्तक्षेप कर सकता है। यह प्रस्तावित किया गया था कि बोर्ड को पार्क के अवसंरचना अर्थात् सड़कों, पानी और बिजली के कनेक्शन, वेट ब्रिज आदि की मामूली मरम्मत को बनाए रखने की लागत का एक हिस्सा मासिक आधार पर वसूलना शुरू करना चाहिए।

श्रम मंत्रालय के सदस्य ने पुरुषों और महिलाओं के लिए मसाला पार्कों में सामान्य शौचालय सुविधाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया और निदेशक (विपणन) ने उत्तर दिया कि ऐसी सामान्य शौचालय सुविधाएँ सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों में स्थापित की गई थीं।

बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदन दे दी।

मद सं.13 मसाला पार्क शिवगंगा में नए पैकेजिंग उपस्कर की खरीद

सचिव ने सूचित किया कि प्रचालन करार के अनुसार, जिस निर्यातक को सामान्य प्रसंस्करण इकाई आबंटित की गई है, उसकी मरम्मत कराना और इकाई का प्रचालन करना उसकी मूल उत्तरदायित्व है। लेकिन शिवगंगा का मौजूदा ऑपरेटर ऐसा करने में विफल रहा। करार में एक और शर्त भी है जिसके अनुसार बोर्ड को इकाई को प्रचालित रखने के लिए गंभीर हस्तक्षेप करना चाहिए, बोर्ड कदम उठा सकता है ताकि प्रचालन शुरू कर सकें। जब जिस निर्यातक को यह काम करना था वह ऐसा करने में विफल रहा, तो बोर्ड ने हस्तक्षेप किया और काम का दायित्व ले लिया। संकाय मशीन का मरम्मत करने पर उसे स्थापित एवं प्रकार्यात्मक बना दिया गाया है और इस दौरान हमने देखा कि यह प्रचालक न केवल इकाई को प्रचालित करने में विफल रहा है, बल्कि वह मासिक किराये का भुगतान भी जमा करने में विफल रहा है और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, पट्टा करार रद्द कर दिया गया है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.14 रायबरेली में मसाला पार्क को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए नया स्वतंत्र 11 केवी फीडर

सचिव ने सूचित किया कि रायबरेली नवीनतम पार्क है जिसका उद्घाटन वर्ष 2019 में हुआ है, और प्लॉटों का लाभ उठाए गए कई निर्यातकों ने बिजली आपूर्ति की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत की, क्योंकि पार्क को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन कई गाँवों को भी बिजली की आपूर्ति कर रही है, और वह पार्क को केवल 5–6 घंटे की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड ने राज्य विद्युत वितरण कंपनी के साथ एक अलग फीडर लाइन के लिए मामला उठाया और हाल ही में पार्क के लिए एक समर्पित ट्रांसमिशन लाइन प्रदान करने के लिए, उनके अनुमान के आधार पर, 1.06 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया।

अध्यक्ष ने नोट किया कि 60 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है और शेष काम वन और एनएचएआई विभागों से अनापत्ति प्रमामपत्र के अभाव में लंबित है, और अनापत्ति प्रमामपत्र में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने का सुझाव दिया, और यदि आवश्यक हो, तो इस मामले पर केंद्र सरकार के स्तर पर भी समीक्षा की जा सकती है।
बोर्ड ने आगे व्यय को नोट किया और इसका अनुसमर्थन किया।

मद सं.15 चुनार, मिर्ज़ापुर जिला, उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभभाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना

सचिव ने प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी, जिसे स्पाइसेस बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों के निधीयन समर्थन के साथ एपीडा द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। एफपीओ और उनके क्षेत्र के अन्य पणधारियों को लाभ पहुँचाने के लिए बोर्ड के कुछ कार्यक्रमों को एक साथ लाने का प्रस्ताव किया गया था। सदस्य श्री चन्द्रशेखर सिंह रघुवंशी ने सूचित किया कि मिर्च मिर्ज़ापुर का एक प्रमुख मसाला है और उन्होंने प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदन देने का अनुरोध किया।

बोर्ड ने कार्यवृत्त नोट किया और परियोजना की लागत का एक हिस्सा, 66 लाख रुपये तक पूरा करने और क्षेत्र में बोर्ड के चयनित कार्यक्रमों को एकसाथ लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद सं 16 पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022–23 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

निदेशक (विपणन) ने 2022–23 के दौरान मसालों के निर्यात की स्थिति की जानकारी दी। अध्यक्ष ने कहा कि 2022–23 के दौरान निर्यात की मात्रा में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में निर्यात मूल्य में गिरावट और काली मिर्च, छोटी इलायची जैसे कुछ मसालों के निर्यात में कमी के संभावित कारणों को नोट किया गया और उन पर चर्चा की गई। यह सूचित किया गया कि उस दौरान घरेलू बाजार में मिर्च, जीरा जैसे मसालों की कीमतें बढ़ गई थीं, जिससे निर्यात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ था। भारतीय मसालों के सबसे बड़े आयातक चीन को निर्यात में कमी चीन में कोविड प्रतिबंध, शुरू की गई दुष्कर पंजीकरण आवश्यकताओं और प्रापण को प्रभावित करने वाली कमजोर आर्थिक स्थिति सहित कारणों से हुई।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं 17 मसाला पार्क गुंटूर में सामान्य प्रसंस्करण इकाई के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिकल और अर्ध स्थायी परिसर की दीवार प्रदान करने का प्रस्ताव

सचिव ने बताया कि गुंटूर में सामान्य प्रसंस्करण सुविधा शुरू में एक प्रचालक द्वारा प्रचालित की गई थी। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद बोर्ड ने ईओआई आमंत्रित किया और सुविधा चलाने के लिए एक नए प्रचालक की पहचान की। नए प्रचालक ने संकाय भूमिगत केबलों के कारण एचटी ओवरहेड लाइन प्रदान करने, पुरानी अग्निशमन प्रणाली की मरम्मत के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए बाड़ लगाने का अनुरोध किया है। बोर्ड सहमत है और इसे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। बोर्ड ने बिजली भार को कम करने के लिए कार्यालय और पंप हाउस के लिए एक अलग एलटी लाइन प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए। अध्यक्ष ने काम शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

मद सं.18 वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के लिए निर्यात उत्कृष्टता ट्रॉफी/पुरस्कार

बोर्ड ने वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए अंतिम रूप दिए गए पुरस्कारों को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान की।
बोर्ड ने वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 and 2020–21 के लिए पुरस्कारों के वितरण के बारे में नोट कर लिया।

मद सं.19 यूरोपीय संघ और यूके को मसालों के निर्यत के गुणवत्ता मुद्दे

निदेशक (विपणन) ने यूरोपीय संघ और यूके को मसालों के निर्यत के गुणवत्ता मुद्दे और बोर्ड द्वारा कार्यान्वित अनिवार्य नमूनन और परीक्षण सहित उपायों के बारे में बताया।

अध्यक्ष ने गुणवत्ता मुद्दों से संबंधित सूचना के प्रसार का तरीका और पणधारियों को अनिवार्य नमूनन और परीक्षण के बारे में पूछा। यह सूचित किया गया कि परिपत्र जारी किया गाया और बोर्ड की वेबसाइट में होस्ट

किया गया और संबंधित निर्यातक संघ और साथ ही साथ विभिन्न पत्तनों में तैनात प्राधिकारियों को प्रसारित किया गया।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.20 मानव भोजन के लिए निवारक नियंत्रण पर प्रशिक्षण (पीसीक्यूआई–एचएफ) सहयोगी प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी)

अध्यक्ष के प्रशन पर कि क्या यह कार्यक्रम निर्यातकों के लिए सीमित है, निदेशक (विपणन) ने सकारात्मक रूप से स्पष्ट किया कि यह बाँछित है कि वे संयुक्त राज्य अमरीका को मसाले निर्यात करने की प्रक्रिया के बार में पूर्व सूचना है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.21 प्रमाणपत्र के डिजिटलीकरण के लिए 21 प्रमुख इंटरफ़ेस

निदेशक (विपणन) ने व्यवसाय करने में आसानी के हिस्से के रूप में सीआरईएस, नीलामकर्ता लाइसेंस, आदि के लिए डिजिटलीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से इंटरफ़ेस में हुए हाल के सुधारों के बारे में जानकारी दी।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.22 ब्लॉक अवधि 2023–26 के लिए ब्यौहारी लाइसेंस का निर्गमन

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.23 स्पाइसेस बोर्ड का निर्यात विकास संवर्धन योजना

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.24 मसाला प्रसंस्करण सुविधाओं को स्टार रेटिंङ के साथ स्पाइस हाउस प्रमाणीकरण

सचिव ने बताया कि स्टार रेटिङ कार्यक्रम के साथ पुरानी योजना का एक नया संस्करण अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया है। यह प्रस्ताव वांछनीय है क्योकि इससे आयात देशों के समक्ष भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें विभिन्न उत्पादों के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं का संकेत मिलेगा। यह सूचित किया गया है कि मंत्रालय की अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।
बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.25 जी–20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठकों में मसाला अनुभव क्षेत्र

सचिव ने सूचित किया कि, इस वर्ष में विभिन्न जी–20 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारत में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, बोर्ड ने मुंबई, बेंगलूरु, केवाडिया और जयपुर में जी–20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठकों के मौके पर भारतीय मसाला मंडप की स्थापना की।

मद सं.26 इलायची खेती क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए बैंक में रखी बोर्ड की धनराशि के उपयोग का प्रस्ताव

सचिव ने बोर्ड के बारे मे बताया कि क्षेत्र में विभिन्न विपणन, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए वाहनों की भारी कमी हैं, चूंकि बोर्ड का ध्यान कई गुना बढ़ गाया है, कुछ पुराने वाहन अनुपयोगी हो गए हैं, और सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ और वाहनों को खत्म कर दिया जाएगा।

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने ई–नीलाम प्रणाली में प्राप्त धनराशि के एक हिस्से का उपयोग करके चार वाहनों को खरीदने का मंजूरी दी नमूने के रूप में एकत्र की गई 50 ग्राम इलायची के बदले में, जिसका उपयोग अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के तहत, छोटी इलायची का खेती क्षेत्र यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में किया जाए। बोर्ड ने आईईबीआर से बड़ी इलायची उत्पादक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले चार वाहनों की खरीद को भी मंज़ूरी दे दी। पुराने वाहनों के निन्दा/स्क्रेपिंङ प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नए वाहन खरीदी जाएगी। वाहनों की खरीद जीईएम के माध्यम से होनी चाहिए और सबसे किफायती वाहन होना चाहिए।

मद सं.27 विश्व स्पाइस कोंग्रेस 2023

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.28 वर्ष 2022–2023 के दौरान निर्यातोन्मुखी उत्पादन की वार्षिक उपलब्धि

निदेशक (विकास) ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत उपलब्दियों का संक्षिप्त परिचय दिया। अध्यक्ष ने कार्यक्रमों को यथासंभव बढ़ाने की सलाह दिया।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.29 वर्ष 2022–2023 के दौरान इलायची (बड़ी और छोटी) उत्पादकता पुरस्कार

निदेशक (विकास) ने इलायची (बड़ी और छोटी) उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और वर्ष 2022–2023 के लिए बड़ी इलायची पुरस्कार को अंतिम रूप दिए जाने की सूचना दी।

छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार के संबंध में , सचिव ने सूचित किया कि, जैसे कि पिछली बोर्ड बैठक में सुझाया गया था, उत्पादकता के अतिरिक्त, अपनाई गई जैव विविधता/धारणीय प्रथा को महत्व देकर मार्गनिर्देशों को संशोदित किया गया है । बताया गया कि संशोधित मापदण्डों के आधार पर वर्ष 2022–2023 केलिए छोटी इलायची पुरस्कार हेतु आवोदन आमंत्रित किए गए हैं तथा इसका निरीक्षण प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि चूंकि यह योजना 2022–2023 के दौरान पुनरीक्षणाधीन थी, इसलिए पिछले साल छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार के लिए नामांकन एकत्रित नही किए जा सके।

मद सं.30 केएडीएस पीसीएल, तोडुपुरा में जैविक खेती, आईपीएम और जीएपी पर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहायता

निदेशक (विकास) ने केएडीएस तोडुपुरा में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और केंद्र में आयोजित आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

अध्यक्ष नें अन्य राज्यों में भी जैसा लागू हो ऐसे केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने केंद्र की उपलब्धियों को नोट किया और प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

मद सं.31 स्पाइसेस के आईएनडी जी.ए.पी प्रमाणीकरण पर अग्रगामी परियोजना

निदेशक (विकास) ने स्पाइसेस के आईएनडीजीएपी प्रमाणीकरण के लिए क्युसीआई के सहयोग से शुरू की गई अग्रगामी परियोजनाओं के विवरण के बारे में जानकारी दी। सचिव ने बताया कि इसका उद्देश्य स्पाइसेस के निर्यातयोग्य अधिशेष को बढ़ावा देकर और मसाला क्षेत्र के समग्र लाभ के लिए वैश्विक जीएपी, जो एक स्थापित मानक है, के खिलाफ तल चिन्हित करने की सुविधा प्रधान करना है। बोर्ड ने पाँच परियोजनाओं का समर्थन किया जो पूरी हो गई और अगले पाँच परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन है। इन परियोजनाओं में, निर्यातकों को खरीद सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुसमर्थ न किया और जहाँ आवश्यक हो, बोर्ड ने इस पहल को बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

मद सं.32 आईसीआरआई मैलाडुम्पारा में अनुसंधान के लिए श्रमिक की आवश्यकता

निदेशक (अनुसंधान) ने आईसीआरआई मैलाडुम्पारा में अनुसंधान फार्म के लिए श्रमिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी और अनुसंधान फार्म के प्रबंधन को मजबूत करने और अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता के लिए अतिरिक्त 25 मज़दूरों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

सदस्य श्री तिरुमुरुगन ने आईसीआरआई मैलाडुम्पारा में कर्मचारियों की कमी पर प्रकाश डाला। निदेशक आईआईएलआर ने अभिकरण के माध्यम से मज़दूरों को नियोजित करने का सुझाव दिया।

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड जीईएम के माध्यम से चयनित अभिकरण के द्वारा आईसीआरआई मैलाडुम्पारा में 25 मज़दूरों को, जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमत हुए।

मद सं.33 सहयोगात्मक परियोजना का दूसरा चरण जिसका शीर्षक है 'इलायची पथ की जीआईएस आधारित मिट्टी की उर्वरता का आकलन और जलवायु अनुकूल इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक सिफारिश'

निदेशक (अनुसंधान) ने केरल के ईडुक्की जिले में इस परियोजना के पहले चरण के तहत उपलब्दियों के बारे में बताया और परियजना के दूसरे चरण में तमिलनाडु और कर्नाटक को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा। विस्तृत विवरण के बाद, बोर्ड ने तमिलनाडू और कर्नाटक को शामिल करने के लिए परियोजना का विस्तार करने को मंज़ूरी दे दी।

मद सं.34 आईसीआरआई फार्म, मैलाडुम्पारा में काम करने वाले अनुसूचित जाति के मज़दूरों के लिए नए क्वार्टरों के निर्माण/पुराने क्वार्टरों के नवीनीकरण का प्रस्ताव

निदेशक (अनुसंधान) ने आईसीआरआई मैलाडुम्पारा की मरम्मत में जीर्ण–शीर्ण पुराने क्वार्टरों के स्थान पर श्रमिक क्वर्टरों के निर्माण के प्रस्ताव पर जानकारी दी। माननीय सांसद ने ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी आदि अभिकरणों से सीएसआर निधि हासिल करने की संभावना पता लगाने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्य करने के लिए, बोर्ड की अनुमोदित योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता के अधीन प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, बशर्ते कि सीएसआर निधि प्रतिभूत नहीं किया जा सके।

मद सं.35 आईसीआरआई, आरआरएस, सकलेशपुर में कार्यालय भवन का नवीनीकरण

बोर्ड ने प्रस्ताव को बोर्ड की अनुमोदित योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता और सीपीडब्यूडी के माध्यम से कार्यों को निष्पादित करने की शर्त पर मंजूरी दे दी।

मद सं.36 पांगथांग फार्म गंगटोक में आईसीआरआई आरआरएस प्रयोगशालाओं के लिए पूर्वनिर्मित संरचना का निर्माण

निदेशक (अनुसंधान) गंगटोक के पांगथांग फार्म में प्रस्तावित प्रयोगशाला के लिए एक पूर्वनिर्मित संरचना बनाने के बारे में बताया। अध्यक्ष ने आरकेवीवाई के तहत वित्त पोषण का पता लगाने का सुझाव दिया।

बोर्ड ने प्रस्ताव को बोर्ड की अनुमोदित योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता के अधीन मंजूरी दे दी, बशर्ते आरकेवीवाई निधि प्रतिभूत नहीं किया जा सके।

मद सं.37 पांगथांग में आईसीआरआई आरएस फार्म में जैव कारक का उत्पादन शुरू करने के लिए फार्म भवन का नवीनीकरण

बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद सं.38 आरएस गांगटोक में भौतिक/जैव रसायनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना

बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद सं.39 आईसीआरआई द्वारा बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं का कार्यान्वयन

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.40 उपाध्यक्ष का चुनाव

अध्यक्ष ने बताया कि उपाध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष घूर्णन के आधार पर किया जाता था, जिसमें सदस्यों के बीच से किसानों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों को चुना जाता था। चूंकि पिछले बार किसानों के प्रतिनिधि को चुना गया था, अगली बारी निर्यातक के प्रतिनिधि की होगी। उन्होंने इच्छुक सदस्यों से नामांकन मांगा।

सदस्य श्री सत्यनारायण और सक्लेशपुर, कर्नाटक के काली मिर्च निर्यातक ने स्वेच्छा से बोर्ड का उपाध्यक्ष बनने की पेशकाश की। चूंकि कोई अन्य नामांकन नहीं था, बोर्ड ने श्री एस.के. सत्यनारायण को अगले एक वर्ष के लिए बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

मद सं.41 स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 एवं स्पाइसेस बोर्ड (बैठक) संशोधन नियम 2018 के नियम 11(2) के अनुसार स्थायी समितियों का पुनर्गठन

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने उपलब्ध सदस्यों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया:

क) कार्यकारी समिति

i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड – अध्यक्ष
ii. बोर्ड का उपाध्यक्ष
iii. स्पाइस उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य (वार्षिक रोटेशन द्वारा) – रिक्त
iv. वित्त से संबंधित मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – रिक्त
v. मसाला उत्पादक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – रिक्त
vi. मसाला निर्यातक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – श्री. गौतम घोष

ख) इलायची के लिए अनुसंधान और विकास समिति

i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड – अध्यक्ष
ii. बोर्ड का उपाध्यक्ष
iii. मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य (वार्षिक घूर्णन द्वारा) – रिक्त
iv. कृषि से संबंधित मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – डॉ. प्रभत कुमार, उद्यान कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
v. एलेटेरिया कार्टमम् मैटन ग्रोवेर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – श्री. तिरुमुरुगन
vi. अमोमम् सुबुलतुम रोक्सब ग्रोवेर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – रिक्त
vii. आईआईएसआर कोषिक्कोड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – डॉ. आर दिनेश, निदेशक आईआईएसआर
viii. इलायची अनुसंधान के प्रभारी अधिकारी – निदेशक (अनुसंधान) स्पाइसेस बोर्ड
ix. इलायची विकास के प्रभारी अधिकारी – निदेशक (विकास) स्पाइसेस बोर्ड
x. स्पाइसेस के निर्यातक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – रिक्त

ग) स्पाइसेस के लिए बाज़ार विकास समिति

i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड – अध्यक्ष
ii. बोर्ड का उपाध्यक्ष
iii. निदेशक सीएफटीआरआई , मैसूर
iv. वाणिज्य से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य – डॉ वनलालरामसांगा आईईएस, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय

v. व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनो में से नियुक्त किए जाने वाले तीन सदस्य 1) श्री. अक्कीसेती, (2 और 3) रिक्त

vi. बोर्ड द्वारा नियुक्त भारतीय निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक अधिकारी

vii. स्पाइस बाज़ार विकास से संबंधित बोर्ड का एक अधिकारी – निदेशक (विपणन) स्पाइसेस बोर्ड

viii. स्पाइसेस के उत्पादक का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य – 1. श्री. चन्द्रशेखर सिंग रघुवन्शी (2) रिक्त

उपरोक्त समितियों में रिक्त पदों को बोर्ड द्वारा उन सदस्यों में से भरा जाएगा जिन्हें बोर्ड के मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा बोर्ड में नामांकित किया जाएगा ।

मद सं.42 स्पाइसेस (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022

बोर्ड ने स्थिति नोट की।

मद सं.43 जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन), अधिनियम के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 का संशोधन

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.44 व्यय वित्त समिति का प्रस्ताव

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं.45 निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम करके प्रमुख उत्पादों और देशो को योजित करने के लिए प्रमुख योजना के विषय पर छह से दस सितंबर 2023 तक वाणिज्य संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की मुन्नार , कन्नूर और मडिकेरी(कूर्ग) का अध्ययन दौरा

बोर्ड ने नोट किया ।

अतिरिक्त कार्यसूची

मद सं.1 – केरल के मामनीय उच्च न्यायालय के दिनांक 8.8.2022 के फैसले के वर्ष 2022 के डब्ल्यूरी (सी) संख्या 23691 के निर्देशों के अनुपालन में सचिव, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी आदेश

बोर्ड ने नोट किया ।

इसके अतिरिक्त बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सामान्य चर्चाएँ हुई

अध्यक्ष चाहते हैं कि सदस्य बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दें ।

1. सदस्य श्री घोष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियों और निर्यातकों के लिए कार्यक्रमों के बारे में पूछा। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि बोर्ड सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी इलायची, मेघालया और त्रिपुरा में हल्दी आदि के लिए विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। सचिव ने उच्च सहायता के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में स्पाइसेस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे विदेश व्यापार उचित भागीदारी, बुनियादी ढ़ाचे का विकास, ऩई निर्यातकों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण आदि के बारे में सूचित किया और कार्यान्वित योजनाओं का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्द था।
2. श्री घोष ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के नए निर्यातकों को बोर्ड की योजना का लाभ उठाना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने बैंक गारंटी कम करने का अनुरोध किया। सचिव ने स्पष्ट किया कि कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं विशेष रूप से बुनियादी ढ़ाचा समर्थन योजना के तहत सहायता के मूल्य का 110% बीजी के रूप में निर्धारित किया गया था। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि बोर्ड को बीजी मुद्दे की जांच करनी चाहिए और नए निर्यातकों को समर्थन देने के लिए विकल्पों के साथ आने का प्रयास करना चाहिए।
3. श्री घोष ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में काली मिर्च की विकास के लिए समर्थन का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि बोर्ड के पास काली मिर्च की खेती के लिए प्रत्यक्ष समर्थन देने की सीमा हे, लेकिन निर्यात के लिए समर्थन दे सकता हैं, और उनका अनुरोध कृषि विभाग को भेजा जाएगा। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि निदेशक आईआईएसआर इस संबंध में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के साथ बैठक कर सकते हैं। स्पाइसेस के लिए सोलार ड्रायर के समर्थन के अनुरोध पर, सचिव ने उत्तर दिया कि बोर्ड के पास मेकेनिकल ड्रायर के लिए योजनाएं हैं। अध्यक्ष ने इच्छा जताई कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत उपयुक्त सोलार ड्रायरों को शामिल करने की संभावना तलाशी जा सकती हैं।
4. सदस्य श्री. तिरुमुरुगन ने एमआईडीएच में स्पइसेस सेल के तहत इलायची को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के संबंध में व्यय विभाग के एक ज्ञापन के बारे में सूचित किया और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की मांग की। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह व्यय विभाग का प्रस्ताव नही था बल्कि बोर्ड के ईएफसी प्रस्तावों पर एक टिप्पणी थी और विभाग/बोर्ड के विचार इस पर दिए जाएगे।

अध्यक्ष और सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक अपराह्न 3.30 बजे समाप्त हो गई।